

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Transfer Application No. 228/2025
URN: CTA / 396U / 2025

Vaishali Sharma W/o Shri Jitendra Sharma D/o Shri Krishan Darshan Sharma, Aged About 37 Years, R/o Gaagardoo, Tehsil Dudu, At Present R/o B-134 Unnati Nilay, In Front Of Aanand Van Marriage Garden, Sirsi Road, Thana Karni Vihar, Jaipur, Rajasthan.

----Applicant/Non-Applicant

Versus

Jitendra Bhardwaj S/o Shri Raghuveer Prasad Sharma, R/o Gagrdoos, Tehsil Dudu, District Jaipur, Rajasthan.

----Non-Applicant/Applicant

For Petitioner(s)	:	Mr. Sunil Kumar Chechi with Mr. Surendra Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Deepak Chaudhary for Mr. Prahlad Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

01/07/2026

प्रार्थीया की ओर से वर्तमान अंतरण आवेदन अंतर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रत्यर्थी द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दूदू में लंबित प्रकरण संख्या 22/2025 उनवानी जितेन्द्र भारद्वाज बनाम वैशाली शर्मा अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम को विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर में अंतरित करवाने हेतु पेश किया गया है।

प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया तथा प्रत्यर्थी का दिनांक 08.07.2022 को पुष्कर, अजमेर में विवाह संपन्न हुआ था। प्रार्थीया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2024 पुलिस थाना महिला थाना, जयपुर सिटी (पश्चिम) में धारा 498-ए, 406, 323, 504 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें प्रत्यर्थी के विरुद्ध

आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है और जयपुर स्थित न्यायालय में प्रत्यर्थी उपस्थित हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने वैशाली शर्मा बनाम जितेन्द्र भारद्वाज प्रकरण संख्या 2559/2025 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम, 2005 जयपुर में प्रस्तुत कर रखा है, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय में लंबित है। दोनों पक्षों में 2 प्रकरण जयपुर स्थिति न्यायालय में लंबित है, जबकि प्रत्यर्थी ने विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दूदू के समक्ष धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 22/2025 प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्य जयपुर में ही रहते हैं और प्रत्येक तारीख पेशी पर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर दूदू जाने में उसे परेशानी होती है। प्रार्थीया की 2 वर्ष की पुत्री भी है जिसके भरण पोषण का दायित्व भी प्रार्थीया का है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जयपुर महानगर—प्रथम, जयपुर में अंतरित किया जावे।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उपरोक्त आधारों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सद्भाविक नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुना गया तथा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थीया तथा प्रत्यर्थी का दिनांक 08.07.2022 को पुष्कर, अजमेर में विवाह संपन्न होना बताया गया है। प्रार्थीया की 2 वर्षीय पुत्री भी है, जो प्रार्थीया के साथ निवास करती है, उसके भरण—पोषण, देखरेख की जिम्मेवारी प्रार्थीया की है। प्रार्थीया अपने परिवार के सदस्यों के साथ जयपुर में निवास करती है। दोनों पक्षों के मध्य धारा 12 घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम का प्रार्थना पत्र और धारा 498—ए, 406 भारतीय दंड संहिता का आरोप पत्र जयपुर स्थित न्यायालय में लंबित है। प्रत्यर्थी ने दूदू स्थित न्यायालय में धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया के लिए जयपुर से दूदू 70 किलोमीटर दूर अपनी 2 वर्षीय पुत्री को लेकर प्रत्येक तारीख पेशी पर आना अत्यंत कष्टदायी हो सकता है, वहीं प्रत्यर्थी को जयपुर

स्थित न्यायालय में अपने प्रकरण की पैरवी किए जाने पर कोई असुविधा नहीं होती है, क्योंकि जयपुर स्थित अन्य न्यायालयों में दोनों पक्षों के मध्य लंबित 2 प्रकरणों में प्रत्यर्थी नियमित पैरवी कर रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारिवारिक प्रकरणों से संबंधित अंतरण याचिकाओं के संबंध में पारित विभिन्न विनिश्चयों को उद्धरित किया जाना न्यायोचित है:—

1. *Sumita Singh v. Kumar Sanjay & Anr.* reported in (2001) 10 SCC 41

Which held that in matrimonial disputes, the wife's convenience is paramount and must be given due consideration.

2. *Vaishali Shridhar Jagtap v. Shridhar Vishwanath Jagtap* reported in (2016) 14 SCC 356

In this case, the Supreme Court emphasized that matrimonial disputes should be adjudicated at a location convenient to the wife, setting aside previous orders and transferring the husband's petition from Mumbai to Barshi, where the wife resided. Focusing on the comparative hardship faced by wife.

3. *Rajani Kishor Pardeshi V. Kishor Babulal Pardeshi* reported in (2005) 12 SCC 237

Wherein it was held that in this type of matter, the convenience of the wife is to be preferred over the convenience of the husband.

4. *Civil Appeal No. 4894/2022 titled as N.C.V. Aishwarya vs. A.S. Saravana Karthik Sha Decided on 18.07.2022*

Wherein it was held in Para 9 that "it is the wife's convenience which must be looked at while considering transfer."

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थीया की विपरीत आर्थिक, पारिवारिक तथा भावनात्मक स्थिति, दोनों स्थानों की दूरी तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए यह अंतरण याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत यह अंतरण याचिका स्वीकार कर अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दूदू में लंबित प्रकरण संख्या 22/2025 उनवानी जितेन्द्र भारद्वाज बनाम वैशाली शर्मा अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम को विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 4 जयपुर महानगर—प्रथम, जयपुर में विधि—अनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अन्तरण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने पर प्रकरण विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु दोनों पक्षों को सूचित करते हुए अन्तरिती न्यायालय को प्रेषित करें।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति अन्तरण तथा अन्तरिती न्यायालयों को प्रेषित की जावे।

संलग्न स्थगन व अन्य आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J